

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(3)पदो/अभि/2025

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश:—

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं.27(3)(3)पदो/अभि/2025/71-120 जयपुर, दिनांक 20-02-2026 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री राकेश कुमार ,अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर, निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं.3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/171-250 दिनांक 23-02-2026 के द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापन कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर में किया गया था। श्री राकेश कुमार द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निजी कारणों से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति परित्याग का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति परित्याग (forgo) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, झुंझुनू में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।

(तिरूपति कुमार गुप्ता)

निदेशक अभियोजन,

राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन, झुंझुनू/ जोधपुर।
4. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:— संबंधित कार्यालयध्यक्ष।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,

राजस्थान जयपुर।